प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, सिवान

हुसैनगंज थाना कांड संख्या 81/2020

24.06.2021 हुसैनगंज थाना कांड संख्या 81/2020 के अंतर्गत धारा 147,148,149,341,323,379, 307,427,504,506 भा.द.वि. धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3(1)(r)/3(2)(va) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के काराधीन अभियुक्त हिमांशु पाण्डेय की ओर से दाखिल जमानत आवेदन के व्हाट्सएप्प के माध्यम से ऑनलाईन रूप से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर प्रसाद खत्री एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को सुना एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका इलायची देवी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 14.04.2020 को करीब 1:30 बजे दिन में वह अपने खेत में खाद डालने जा रही थी तभी अभिषेक पाण्डेय, ओमप्रकाश चौधरी, दीपक कुमार, विवेक कुमार, मन्नु कुमार, आनंद कुमार, अजय कुमार, हिमांशु पाण्डेय एक समूह बनाकर बोले कि बोरा में शराब लेकर जा रही है। सूचिका उन्हें बोरा खोलकर खाद दिखाई तो वे गाली गलौज करने लगे। सूचिका खेत में खाद डालकर वापस आई उसके पश्चात् उपरोक्त सभी व्यक्ति एवं रितेश पाण्डेय, प्रमोद कुमार पंडित, सोनू कुमार पंडित, सोनू कुमार, सुधीर कुमार, अभिषेक कुमार, दिवाना पाण्डेय, रवि राज, नितेश पाण्डेय अन्य अज्ञात 15 व्यक्तियों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर आये और जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। सूचिका को बचाने उसके पति विनोद राम लड़का अजय कुमार, ओमप्रकाश राम लड़की निलम कुमारी एवं पड़ोस के सावित्री देवी आई तो उक्त सभी लोग लाठी, डंडा, हॉकी, लोहे के रॉड से मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिये। अभिषेक पाण्डेय हाथ में लिए पिस्टल से जान मारने की नियत से फायरिंग कर दिये। रितेश पाण्डेय सूचिका के कान से बाली चोरी के नियत से छीन लिये।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इन्होने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि इसे हुसैनगंज थाना कांड संख्या 82/2020 के कारण पूर्व दुश्मनी से झूंठा फंसाया गया है। इनका यह भी तर्क है कि घटना दिनांक 14.04.2020 को 1:30 बजे दिन का होना बताया गया है तथा जप्ती सूचि उसी दिन 2:05 बजे तैयार की गई है और प्राथमिकी दिनांक 15.04.2020 को 1:35 बजे दर्ज कराई गई है जिससे भी घटना संदेहास्पद हो जाता है। इनका आगे तर्क है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307,379 भा.द.वि. अथवा धारा 27 शस्त्र अधिनियम का आरोप नहीं बनता है। इनका यह भी तर्क है कि यह मामला संधि हो चुका है तथा मामले में सहअभियुक्तगण जमानत पर है तथा आवेदक वर्तमान में काराधीन है और आवेदक के विरूद्ध भी समान आरोप है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डंडा, हॉकी एवं लोहे के रॉड से मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है और साक्षियों ने भी अनुसंधान के दौरान घटना के समर्थन में व्यान दिया है किन्तु इस तथ्य को स्वीकार किया कि मामला संधि हो चुका है एवं समान आरोप में सहअभियुक्तों को पूर्व में जमानत की सुविधा प्राप्त है एवं जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन में सभी जख्मियों के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का होना पाया है।

उपरोक्त तर्कों, तथ्यों, परिस्थितियों आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सूचिका अथवा उसका परिवार के किसी सदस्य को किसी धातक हथियार से मारपीट करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं होने, मामले के जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन में चिकित्सक द्वारा सभी जख्मों को साधारण प्रकृति के पाये जाने तथा मामले में सहअभियुक्तों को पूर्व में जमानत का लाभ मिलने तथा जमानत प्राप्त अभियुक्तों के समान ही इस आवेदक पर आरोप होने एवं आवेदक अभियुक्त के कारा में रहने एवं वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त हिमांशु पाण्डेय को मो0 10,000/– के दो समान प्रतिभू वाले समान राशि वाले बंध–पत्र दाखिल करने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ए.डी.जे. प्रथम 24/06/20

वि0 न्या0 सिवान